

क./बोर्ड/यो./गै.त./भोज./35/19-20/ 721
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/11/2019 (email)

संयुक्त संचालक/उपसंचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय—.....(समस्त)

विषय :- मंडियों में कृषकों एवं हम्माल तुलावटियों के लिये लागू 5/- रुपये प्रति थाली भोजन योजना अंतर्गत अनुदान राशि के भुगतान के संबंध में निर्देश।
संदर्भ:- मण्डी बोर्ड का पत्र क्रमांक 68-69 दिनांक 13.02.2019, पत्र क्र. 271-272 दि. 25.05.2019, पत्र क्रमांक 620-621 दिनांक 21.10.2019

00000

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा मण्डी प्रांगण में कृषक/हम्माल/तुलावटी के लिये संचालित 5/-रुपये प्रति थाली भोजन योजना के क्रियान्वयन एवं अनुदान राशि के भुगतान के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, परन्तु उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे अनुदान राशि की स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही में काफी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। पुनः निर्देशित किया जाता है कि अनुदान राशि की स्वीकृति एवं भुगतान के संबंध में निम्नानुसार निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे :-

1. मण्डी समिति द्वारा अनुदान राशि के मांग पत्र पूर्व में जारी निर्देशानुसार प्रत्येक तीन माह में अनिवार्य रूप से संशोधित प्रपत्र "क" में भुगतान हेतु आंचलिक कार्यालय में प्रस्तुत किये जावें। आंचलिक कार्यालय द्वारा तीन माह से अधिक पुराने मांग पत्र मण्डी समिति से प्राप्त होने पर मान्य नहीं किये जावें।
2. मण्डी समिति द्वारा मांग पत्रों में प्रति थाली भोजन दर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
3. मण्डी समिति द्वारा अनुदान राशि के मांग पत्रों के साथ बैंक खाते की जानकारी- बैंक का नाम/शाखा, खाता क्रमांक एवं आई.एफ.एस.सी.कोड की जानकारी प्रेषित की जावे। साथ ही बैंक पास बुक की छायाप्रति संलग्न करें।
4. आंचलिक कार्यालय में मांग पत्र प्राप्त होने के उपरांत वहां पदस्थ अंकेक्षकों से परीक्षण कराया जाकर संशोधित प्रपत्र "ख" में 30 दिवस की समयावधि में (मण्डी समिति के मांग पत्र सहित) मुख्यालय में भुगतान हेतु प्रेषित किये जावें।
5. कृषक भोजन अनुदान राशि के मांग पत्र की समयावधि में मण्डी प्रांगण में केन्टीन संचालित होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

संलग्न - संशोधित प्रपत्र "ख"।

संयुक्त संचालक(योजना)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

क./बोर्ड/यो./गै.त./भोज./35/19-20/ 722

भोपाल, दिनांक 30/11/2019

1. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति.....(समस्त)
जिला.....की ओर उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त संचालक(योजना)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

अधीनस्थ "ग" एवं "घ" वर्ग की मण्डी समितियों में भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय से संबंधित अनुदान प्रस्ताव।

प्रति थाली दर रूपये.....

क.	मण्डी का नाम	जिला	मण्डी का वर्ग	अवधि	मण्डी समिति में माह में भोजन व्यवस्था पर हुए कुल व्यय का विवरण						संबंधित मण्डी को भुगतान की जाने वाली अनुदान की राशि
					कृषकों को जारी प्रवेश पर्ची/ अनुबंध पर्ची की संख्या	कुल उपस्थिति		कृषकों/हम्मालों/तुलावटियों को जारी कूपनों की संख्या	भोजन करने वाले कृषकों/हम्मालों/तुलावटियों की संख्या	ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत देयक राशि	
						कृषकों की संख्या	हम्मालों/तुलावटियों की संख्या				
01	02.	03.	04.	05	06	07.	08.	09.	10.	11.	12.
योग											

प्रमाणित किया जाता है कि मण्डी समितियों में संचालित भोजनालय पर होने वाले व्यय के अनुदान के रूप में राशि स्वीकृत करने के लिये, मण्डी समिति से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया गया है। आंचलिक कार्यालय में उपलब्ध जानकारी के आधार पर मण्डी समितियों में भोजन व्यवस्था संचालित है। उपरोक्तानुसार अनुदान राशि रूपये.....(शब्दों में रूपये.....) विमुक्त करने की अनुशंसा की जाती है।

परीक्षणकर्ता अंकेक्षक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय—.....(म0प्र0)

संयुक्त संचालक/उपसंचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय—.....(म0प्र0)